भुगतान करने का निर्णय कर लिया था परन्तु प्रशासनिक स्तर ने उसके भुगतान मे अब तक विलम्ब किया है और इसके परिणाम-स्वरूप वहां असन्तोष व्याप्त है

(ग) यदि हां, तो भुगतान कब तक और किस प्रकार किया जायेगा ; और

(घ) क्या इस मामले मे ससद् सदस्यो ने भी कोई पत्र लिखा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क)जी हा। कम्पनी की मानी स्थिति, जो उसे अधिकार मे लेने के समय ऋणात्मक (नेगेटिव) अर्थात् 45 16 लाख रु० (माइनस) थी, अब धनात्मक अर्थात् लगभग 218 लाख रु० है। कम्पनी ने लाभ कमाना भी आरम्भ कर दिया है।

(ख) से (घ). ससद सदस्यो सहित कई लोगो से देय राशियो का शीघ्र भुगतान करने के लिए अभ्यावेदन मिले है। नवम्बर, 1977 मे, देय राशियो के भुगतान के लिए दी गई मोहलत की समाप्ति के बाद, कम्पनी को अधिकार मे लेने से पूर्व की देयता का क्रमबद्ध भुगतान करने के लिए एक योजना बनाई गई है, जो निम्न प्रकार है .—

(i) समस्त सांविधिक देय राशियो और रक्षित लेनदारो की देय राशियो, केवल उन्हें छोडकर जिनके बारे मे मुकदमे चल रहे है , का भुगतान, वचन के अनुसार, योजना के चालू होने की तारीख से पाच वर्षों की अवधि मे क्रमबद्ध रूप मे किया जाना चाहिये।

(ii) समस्त रक्षित लेनदारो, जिनके दावो के बारे से मुकदमे चल रहे हैं, को जब कभी न्यायालयों का निर्णय उपलब्ध हो उसके अनुसार भुगतान किया जाए।

(iii) कम्पनी की ऐसी सांविधिक जमा-राशियो, जो देय हो चुकी हैं, के जमाकर्त्ताओ मे से प्रत्येक को इस योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष 10,000 रुपयो (दस हजार रुपये केवल) का भुगतान किया जाना चाहिए और सांविधिक जमा की शेष राशि, यदि देय हो, का भुगतान योजना के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष किया जाना चाहिए।

(iv) सब विविध लेनदारो मे से प्रत्येक को योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष 10,000 रुपये (दस हजार रुपये केवल) का भुगतान किया जाना चाहिए तथा दूसरे वर्ष 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये केवल) तक का भुगतान किया जाना चाहिए।

(v) सब विविध लेनदारो, जिनके 25,000 रुपये से अधिक के दावे हैं, मे से प्रत्येक को योजना के कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष से तीन बराबर वार्षिक किस्तो मे भुगतान किया जाना चाहिये।

कम्पनी इस बात का सुनिश्चय करेगी कि उपर्युक्त धनराशियो की अदायगी इसे नियंत्रण मे लेने के बाद हुए लाभ मे से की जाये तथा इस योजना को कार्यान्वित करने से कम्पनी के नकदी के प्रवाह (कैश फ्लो) की स्थिति तथा उसके अपने लिए अपेक्षित कार्यचालन पूजी पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। यह योजना इसी समय से लागू होगी।

Reserved Quota for SC/ST in Income Tax, Central Excise, Customs and Nationalised Banks

6063 SHRI SOMJIBHAI DAMOR Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the extent to which the reservation quota laid down for SC/ST

separately in Income Tax, Central Excise, Customs and Nationalised Banks is filled up and what is the shortfall against its existing strength for each class of service;

(b) if there is heavy shortfall, what action Government contemplates to take and by what dates this shortfall is likely to be completed; and

(c) whether he is considering about the crash programme for filling up these vacancies similar to that adopted by Minister of Railways?

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) to (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2049/78].

Operational Efficiency of Nationalised Banks

6064. SHRI G. M. BANATWALLA:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRI SUKHENDRA SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the operational efficiency of the nationalised banks has been constantly deteriorating; and

(b) if so, what action Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). Although the nationalised banks have undertaken rapid branch expansion and faced the problem of rising costs over the past few years, there is no reason to believe that their operational efficiency has been constantly deteriorating. The functioning of the public sector banks is kept under continual review by the Government, the Reserve Bank of India through its various departments and the Boards of Directors of these Banks.

Excise yield from Aerated Waters

6065. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the sale of aerated water during the year 1971, 1972 and 1973 and the excise yield from the sale;

(b) whether it is a fact that the sale of aerated water has steeply fallen because of heavy dose of excise, and

(c) if so, what Government propose to do in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) Information regarding sale of aerated water for the period mentioned in the question is given below:

Year	Sale in thousands of (bottles)	Excise yield Rs in thousands
1971 . . .	945854	30730
1972 . .	1157956	61025
1973 .	1124027	54590

(b) and (c) No Sir, the year-wise figure of clearances given against part (a) of the question does not indicate any steep fall in sale of aerated water

इण्डियन एयर लाइन्स वर्कमैन एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन

6066. श्री हर गोविन्द वर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय को इंडियन एयरलाइंस वर्कमैन एसोसिएशन से एक ज्ञापन मिला है जिसका शीर्षक है "ओपन लैटर एड्रैस्ड टू द चेयरमैन, इंडियन